अत्यावश्यक
ई-मेल/स्पीड पोस्ट

पत्रांक--3प/विविध-17-02/2022/784(वि०)/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

किशोर कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक :20/2/2025

विषय :- **जिला परिषद् कार्यालय-जमुई, वैशाली एवं दरभंगा में जिला क्वालिटी मॉनीटर के पद पर कार्यरत सेवानिवृत्त अभियंताओं के वित्तीय वर्ष 2023-24 के बकाया मानदेय की राशि कुल 03,78,998.00 (तीन लाख अठत्तर हजार नौ सौ अनठानवे) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।**

आदेशः- **स्वीकृत।**

2. पंचायती राज विभाग के अधीन विभिन्न योजनाओं के संचालन एवं प्रबंधन हेतु जिला स्तरीय इकाई के लिए संविदा आधारित सेवानिवृत तकनीकी पदों पर नियोजित जिला क्वालिटी मॉनिटर (DQM) के वित्तीय वर्ष 2023-24 का बकाया मानदेय राशि का भुगतान किया जाना है। संबंधित जिले से प्राप्त अधियाचना के अनुसार कुल **03,78,998.00 (तीन लाख अठत्तर हजार नौ सौ अनठानवे)** मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	जिला	वित्तीय वर्ष 2023-24 के बकाये की अवधि	कुल राशि
1	*2*	*3*	*4*
1)	जमुई	मार्च 2024	65754.00
2)	वैशाली	मार्च 2024	68,675.00
3)	दरभंगा	जनवरी 2024 से मार्च 2024	2,44,569.00
			₹ 03,78,998.00 (तीन लाख अठत्तर हजार नौ सौ अनठानवे) मात्र

3. इस स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-198 ग्राम पंचायतों को सहायता-उप शीर्ष-0113-मुख्यमंत्री निश्चय योजना मद के विषय शीर्ष-0113.31.04-सहायक अनुदान-वेतन" से वित्तीय वर्ष 2024-25 में की जायेगी। इसकी माँग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या-16-2515001980113 है।

4. इस स्वीकृत राशि के निकासी के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद होंगे जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से, बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।

5. विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-371, दिनांक-15.12.2022 के आलोक में DQM के मानदेय का भुगतान संबंधित जिला के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर करेंगे।

कृ०पृ०उ०

6. इस राशि का आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा, जिसके आधार पर राशि की निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि के व्ययोपरांत नियमानुसार व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र यथाशीघ्र पंचायती राज विभाग को उपलब्ध करायेंगे। सभी कर्मियों को निर्धारित मानदेय अनुमान्य दर पर नियमानुसार भुगतान एवं आवश्यक कटौती करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।

7. वित्त विभाग के पत्रांक–7355, दिनांक–05.10.2017 के आलोक में राशि के निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका से 3प/विविध–17–02/2022 के पृष्ठ–53/टि० एवं दिनांक–17/02/25 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर स्वीकृति प्राधिकार, सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–3प/विविध–17–02/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या–54/टि० पर दिनांक–19/02/25 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

20/2
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 3प/विविध–17–02/2022/78(स्वी०)/पं0रा0, पटना,दिनांक 20/2/2025

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी/जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 3प/विविध–17–02/2022/78(स्वी०)/पं0रा0, पटना,दिनांक 20/2/2025

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/2
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 3प/विविध–17–02/2022/78(स्वी०)/पं0रा0, पटना,दिनांक 20/2/2025

प्रतिलिपिः– प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–05/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की प्रति विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करेंगे तथा सभी संबंधितो को ई–मेल के माध्यम से सूचित करेंगे।

20/2/25
(किशोर कुमार)
संयुक्त सचिव